NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 20-04-2026

विषय सूची

भारत में उच्च-मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण

महिला श्रमबल सहभागिता में वृद्धि के बीच नेतृत्व में कमी

भारत–श्रीलंका संबंध: भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा

नदी घाटी प्रबंधन योजना

जीन ड्राइव्स द्वारा मलेरिया नियंत्रण में परिवर्तन

संक्षिप्त समाचार

- विश्व सूत्र
- जगद्गुरु बसवेश्वर
- RELOS समझौता
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) का विस्तार
- इज़राइल की 'येलो लाइन' (दक्षिणी लेबनान)
- भारत समुद्री बीमा पूल (BMI Pool)
- भारत की प्रथम बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खनन परियोजना
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

भारत में उच्च-मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण

संदर्भ

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के तटीय, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में उच्च-मूल्य फसलों की ओर विविधीकरण को तीव्र करने हेतु फसल-विशिष्ट एवं क्षेत्रीय रूप से भिन्न रणनीति प्रस्तुत की गई।

उच्च-मूल्य वाली फसलें (HVCs) क्या हैं?

- उच्च-मूल्य वाली फसलें मुख्यतः बागवानी उत्पाद हैं जैसे फल, सब्ज़ियाँ, फूल, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधे। ये पारंपरिक अनाजों (जैसे गेहूँ और धान) की तुलना में प्रति इकाई भूमि पर कहीं अधिक शुद्ध लाभ प्रदान करती हैं।

भारत में कृषि वृद्धि के प्रेरक के रूप में बागवानी

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत फसल उप-क्षेत्र में सकल मूल्य उत्पादन (GVO) का लगभग 37% हिस्सा बागवानी क्षेत्र का है।

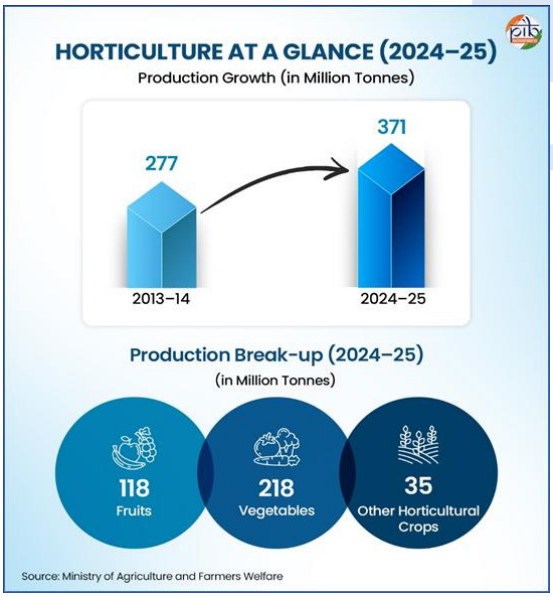

- भारत सब्ज़ियों, फलों और आलू के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
  - वैश्विक उत्पादन में फलों का योगदान 9.18% और सब्ज़ियों का 8.18% है।
- भारत प्याज़ और शलोट (सूखे, निर्जलित को छोड़कर) का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 22.42% योगदान करता है।

उच्च-मूल्य वाली फसलों के विकास हेतु क्षेत्रीय रणनीतियाँ

- **तटीय क्षेत्र (नारियल, काजू, कोको, चंदन)**
  - **नारियल**: भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, 22.44% वैश्विक उत्पादन; 3 करोड़ लोगों को आजीविका, जिनमें 1 करोड़ किसान शामिल।

    - नारियल विकास बोर्ड 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय।
  - **काजू**: 16वीं शताब्दी में भारत में परिचय; बंजर एवं क्षीण भूमि पर सफल।

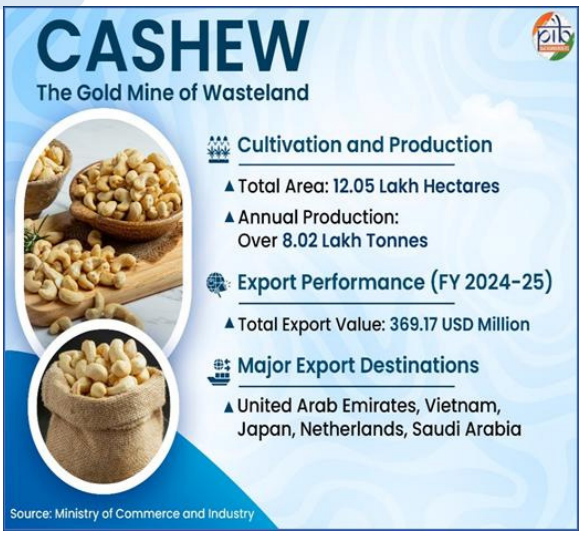

    - उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक खेती।
  - **कोको**: नारियल एवं सुपारी के नीचे अंतरफसल के रूप में, 40–50% सूर्य प्रकाश का उपयोग।

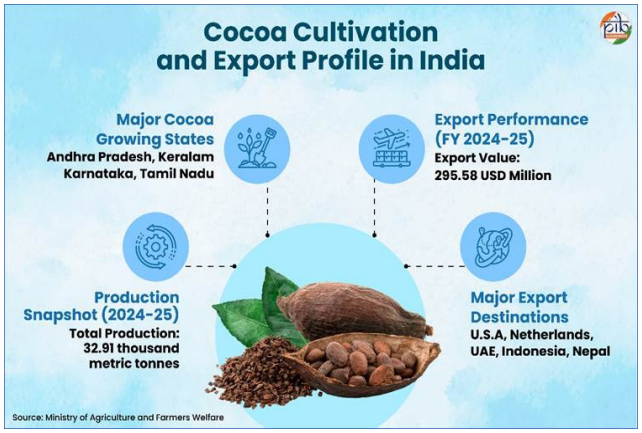

- बजट लक्ष्य: 2030 तक भारतीय कोको को वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाना।

- **चंदन (सैंटलम एल्बम)**: सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान वृक्ष।
  - भारत के 90% संसाधन कर्नाटक एवं तमिलनाडु में केंद्रित।
- **पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र (अगरवुड, अखरोट, बादाम, चिलगोज़ा)**
  - **अगरवुड**: भारत में 15 करोड़ वृक्ष (जनवरी 2026 तक); 90% पूर्वोत्तर में, विशेषकर त्रिपुरा एवं असम।

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "औड" के नाम से प्रसिद्ध; औषधि, धार्मिक अनुष्ठान एवं लक्ज़री इत्र में उपयोग।
- केवल त्रिपुरा का बाजार ₹2,000 करोड़ वार्षिक क्षमता रखता है।
- निर्यात CITES (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज़) के अंतर्गत विनियमित।
  - **अखरोट, बादाम, चिलगोज़ा**:
- ठंडे जलवायु एवं विशिष्ट कृषि-पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयुक्त।
- अखरोट भारत का सबसे महत्वपूर्ण समशीतोष्ण मेवा; मुख्यतः जम्मू-कश्मीर में उत्पादन।
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर में सीमित योगदान।
- चिलगोज़ा पाइन उत्तर-पश्चिमी हिमालय की शुष्क घाटियों में उगता है।

फसल विविधीकरण के लाभ

- **आर्थिक लाभ:**
  - **किसानों की आय में वृद्धि:** HVCs प्रति इकाई भूमि पर 3–4 गुना लाभ देते हैं।
  - **निर्यात राजस्व:** नारियल (USD 513 मिलियन), काजू (USD 369 मिलियन), कोको (USD 295 मिलियन)।
  - **आदिवासी एवं ग्रामीण आजीविका:** अगरवुड, चिलगोज़ा एवं मेवा फसलें हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में आय का स्रोत।
- **संरचनात्मक लाभ:**
  - **एकल फसल निर्भरता में कमी:** धान-गेहूँ बेल्ट से विविधीकरण मूल्य आघातों एवं खरीद विफलताओं से बचाता है।
  - **कृषि-प्रसंस्करण संबंध:** नारियल तेल मिलें, काजू प्रसंस्करण इकाइयाँ, कोको चॉकलेट फैक्ट्रियाँ रोजगार सृजन करती हैं।
  - **अंतरफसल दक्षता:** नारियल के नीचे कोको से अतिरिक्त भूमि बिना आय वृद्धि।
- **पर्यावरणीय लाभ:**
  - **काजू:** बंजर भूमि को उत्पादक बनाकर मृदा अपरदन घटाता एवं वनीकरण को बढ़ावा देता है।
  - **अगरवुड:** वनों में एकीकृत खेती जैव विविधता संरक्षण के साथ आय उत्पन्न करती है।
- **भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक लाभ:**
  - **पूर्वोत्तर एकीकरण:** अगरवुड विकास से जनजातीय अर्थव्यवस्था वैश्विक लक्ज़री बाजार से जुड़ती है।
  - **निर्यात ब्रांड निर्माण:** भारतीय काजू, कोको, चंदन को प्रीमियम ब्रांड बनाना।

- **5F दृष्टि संरेखण**: *फार्म → फाइबर → फैक्ट्री → फैशन → विदेशी*— HVCs इस ढाँचे को सबसे प्रत्यक्ष रूप से लागू करते हैं।

चुनौतियाँ

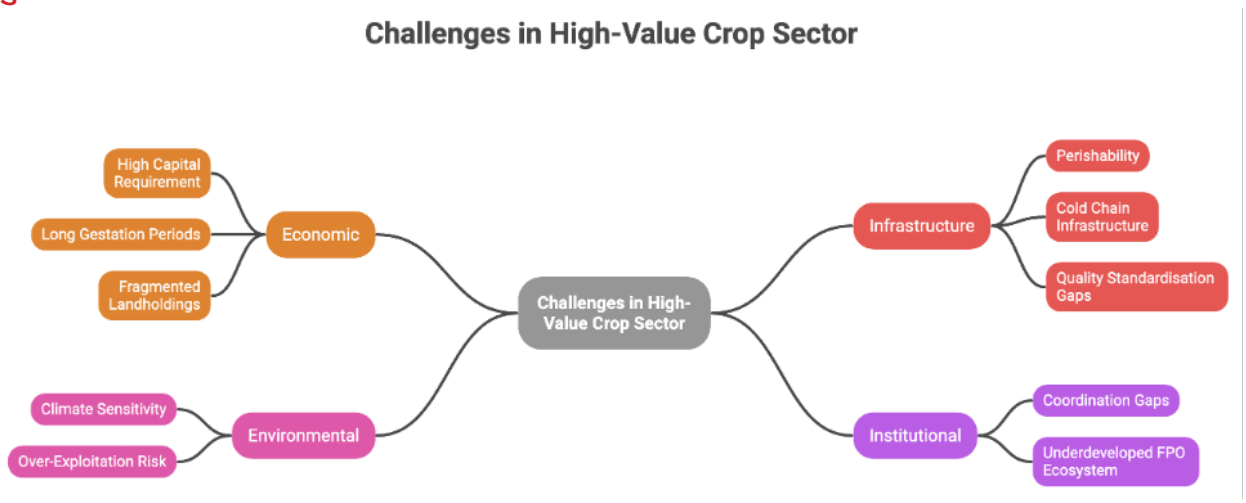

आगे की राह

- **शीत श्रृंखला विस्तार एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** विशेषकर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी उत्पादों हेतु।
- **किसान उत्पादक संगठन (FPO) आधारित एकत्रीकरण:** नारियल एवं काजू क्षेत्रों में विखंडन दूर करने हेतु।
- **"गाँव से वैश्विक" मूल्य श्रृंखला:** ग्रामीण युवाओं को मूल्यवर्धित प्रसंस्करण में जोड़ना।
- **भू-स्थानिक मानचित्रण:** वास्तविक समय उपज निगरानी एवं सतत कटाई योजना।
- **ब्रांड इंडिया निर्माण**: 2030 तक भारतीय काजू, कोको एवं चंदन को वैश्विक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करना।

स्रोत: PIB

महिला श्रमबल सहभागिता में वृद्धि के बीच नेतृत्व में कमी

संदर्भ

- हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है, किंतु नेतृत्व भूमिकाओं में उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता अत्यंत सीमित बनी हुई है।

महिला श्रम शक्ति भागीदारी की स्थिति

- भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) 2022 में 33.9% से बढ़कर 2025 में लगभग 40% हो गई है।
- यह स्तर वैश्विक औसत 49% से कम है और ब्राज़ील (53%) तथा वियतनाम (69%) जैसे उभरते अर्थतंत्रों से काफी पीछे है।
- विश्व बैंक ने रेखांकित किया है कि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने हेतु लगभग 8% वार्षिक वृद्धि बनाए रखना आवश्यक है, जो उच्च महिला कार्यबल भागीदारी के बिना संभव नहीं।

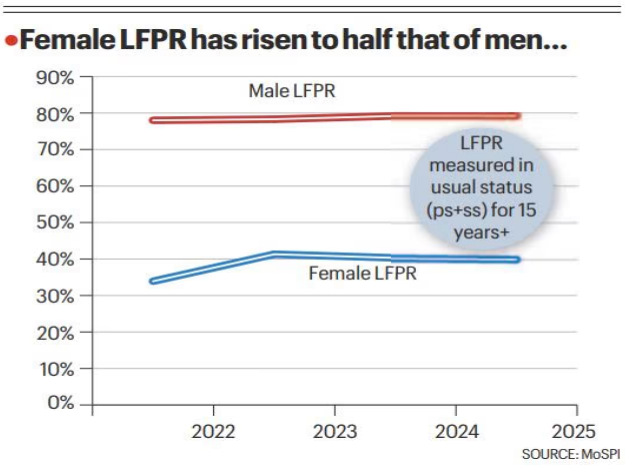

महिलाओं की भागीदारी का आर्थिक महत्व

- महिलाओं की अधिक भागीदारी से श्रम आपूर्ति, उत्पादकता और समावेशी विकास में वृद्धि होती है।

- महिला रोजगार से परिवार कल्याण, बाल पोषण और शैक्षिक परिणामों में सुधार होता है।
- अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि महिला विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि लगभग 1.8 प्रतिशत अंक अधिक रही है।

नेतृत्व पदों में अल्प-प्रतिनिधित्व

- **अकादमिक क्षेत्र:** राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेसर एवं समकक्ष पदों पर महिलाओं का प्रतिशत 2011-12 में 25.9% से बढ़कर 2021-22 में 29.5% हुआ है, जो धीमी संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।
  - प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला संकाय का प्रतिशत IITs में केवल 14% और IIMs में 19% से 31% तक है।
- **कॉर्पोरेट क्षेत्र:** महिला-स्वामित्व वाले स्वामित्व प्रतिष्ठानों का हिस्सा मात्र 27% है।
  - वरिष्ठ भूमिकाओं में प्रत्येक 100 पुरुषों पर केवल 13 महिलाएँ हैं।
  - BSE 200 कंपनियों में महिला अध्यक्षों का प्रतिशत मात्र 7% और NSE 500 कंपनियों में 5% है।
- **टोकनवाद की समस्या**: कंपनी बोर्डों पर कम-से-कम एक महिला निदेशक नियुक्त करने का प्रावधान प्रायः न्यूनतम अनुपालन तक सीमित रहता है।
  - प्रभावी भागीदारी हेतु लगभग 30% प्रतिनिधित्व आवश्यक है, किंतु वर्तमान में महिलाएँ निर्णयों को सार्थक रूप से प्रभावित करने के लिए बहुत कम हैं।

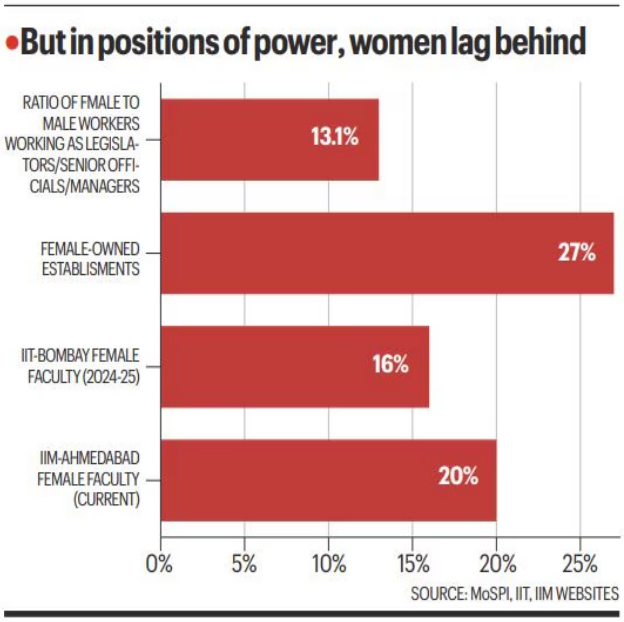

- **ग्लास सीलिंग**: अदृश्य संस्थागत एवं सामाजिक बाधाएँ महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व पदों तक पहुँचने से रोकती हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023)**: लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
- **ग्रामीण स्तर पर प्रतिनिधित्व**: 20 से अधिक राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण; लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि।
- **महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों का वित्तपोषण**: स्टैंड-अप इंडिया एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (69% लाभार्थी महिलाएँ)।
- **मार्गदर्शन**: नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच (WEP) नेटवर्किंग एवं मेंटरशिप को प्रोत्साहित करता है।
- **लैंगिक बजटिंग**: 2025-26 में ₹4.49 लाख करोड़ तक बढ़ी, जिससे महिला-नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित हुआ।

प्रमुख चुनौतियाँ

- नियुक्ति एवं पदोन्नति में लैंगिक पक्षपात।
- महिलाएँ असंगठित, कम वेतन एवं असुरक्षित रोजगारों में अधिक केंद्रित।
- अपर्याप्त बाल देखभाल अवसंरचना, सुरक्षा चिंताएँ एवं गतिशीलता सीमाएँ।
- विविधता मानदंडों का कमजोर प्रवर्तन एवं राजनीतिक सुधारों में विलंब।

आगे की राह

- सरकार को वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए।
- बाल देखभाल अवसंरचना, मातृत्व सहयोग एवं लचीली कार्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है।
- समान वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ एवं कार्यस्थल उत्पीड़न की रोकथाम महिलाओं की दीर्घकालिक भागीदारी एवं प्रगति हेतु अनिवार्य है।

स्रोत: IE

भारत–श्रीलंका संबंध: भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा

संदर्भ

- भारत के उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक सहायता तथा मछुआरों के मुद्दे पर चर्चा के साथ-साथ प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड से संबंधित एक नीतिगत परिवर्तन की घोषणा की।

श्रीलंका यात्रा के प्रमुख बिंदु

- **OCI विस्तार एवं प्रवासी सहभागिता:** भारतीय मूल के तमिलों के लिए पात्रता को छठी पीढ़ी तक विस्तारित किया गया।
- **'सेतु' के रूप में प्रवासी समुदाय:** यह प्रवासी कूटनीति और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करता है तथा भारत में शिक्षा, रोजगार एवं आवागमन के अवसरों तक पहुँच को बढ़ाता है।
- **कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक पहल:** सीलोन एस्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत सहायता में वृद्धि, जिसका उद्देश्य भारतीय मूल के तमिलों की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना है;
  - भारतीय आवास परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत 145 घरों का हस्तांतरण।
- **विकास सहयोग एवं समझौता ज्ञापन (MoUs):** चक्रवात 'दितवा' के पश्चात सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएँ; तथा मुल्लैतिवु अस्पताल सहित चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण।
  - भारत एक 'प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता' एवं विकास साझेदार के रूप में उभरा; श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया।
- **'नेबरहुड फर्स्ट' नीति पर बल:** श्रीलंका ने 2022 के आर्थिक संकट तथा आपदा राहत में भारत की भूमिका को स्वीकार किया।
  - यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की 'नेट सुरक्षा प्रदाता' की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

भारत–श्रीलंका संबंध

- **ऐतिहासिक विकास:**
  - **प्राचीन एवं मध्यकालीन काल:** साझा बौद्ध विरासत (अशोक के श्रीलंका में मिशन); सुदृढ़ सांस्कृतिक, भाषाई एवं व्यापारिक संबंध।
  - **औपनिवेशिक एवं स्वतंत्रता-उपरांत काल:** ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय मूल के तमिलों का प्रवासन; नागरिकता संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु सिरिमा–शास्त्री समझौता (1964)।
- **1980 के बाद का काल:** श्रीलंका में जातीय संघर्ष एवं भारत की भागीदारी—
  - भारत–श्रीलंका समझौता (1987)
  - भारतीय शांति सेना (IPKF) की तैनाती
- **21वीं सदी:** आर्थिक सहयोग, संपर्कता और विकास साझेदारी की ओर झुकाव;
  - हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ता सामरिक महत्व।

वर्तमान स्थिति

- **राजनीतिक संबंध:** उच्च-स्तरीय यात्राएँ एवं संस्थागत संवाद।
- **आर्थिक संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार लगभग 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर (2023–24); भारत, श्रीलंका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों एवं निवेशकों में शामिल।
- **विकास सहयोग:** भारत द्वारा 7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता (ऋण रेखाएँ एवं अनुदान)।
- **संपर्कता:** फेरी सेवाएँ, हवाई संपर्क, डिजिटल भुगतान (UPI), ऊर्जा संपर्क।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र एवं साझा हित

- **आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग:** भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA) 2000 से लागू;
  - आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ETCA) पर वार्ता जारी।
- **विकास साझेदारी:** तमिलों हेतु 60,000 आवास, रेलवे, अस्पताल, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ—जन-केंद्रित विकास पर बल।
- **संपर्कता:** समुद्री, हवाई, डिजिटल एवं ऊर्जा संपर्क; प्रस्तावित विद्युत ग्रिड संयोजन एवं बहु-उत्पाद पाइपलाइन।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** संयुक्त सैन्य अभ्यास—SLINEX (नौसेना) एवं मित्र शक्ति (थल सेना);

- समुद्री सुरक्षा एवं आतंकवाद-निरोध में सहयोग;
- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय मंच के रूप में।

- **सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध:** बौद्ध संबंध एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान; छात्रवृत्तियाँ, प्रशिक्षण (ITEC) एवं क्षमता निर्माण।
- **समुद्री एवं क्षेत्रीय हित:** हिंद महासागर में सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता एवं आपदा प्रतिक्रिया में साझा हित।

संबंधित चिंताएँ एवं मुद्दे

- **मछुआरा विवाद:** पाक जलडमरूमध्य सीमा मुद्दों के कारण बार-बार गिरफ्तारी; पारिस्थितिक चिंताएँ (बॉटम ट्रॉलिंग)।
- **तमिल मुद्दा:** राजनीतिक समन्वय एवं 13वें संशोधन का क्रियान्वयन संवेदनशील विषय।
- **सामरिक चिंताएँ:** श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति (जैसे—हंबनटोटा बंदरगाह); IOR में सामरिक प्रतिस्पर्धा।
- **आर्थिक कमजोरियाँ:** श्रीलंका का ऋण संकट द्विपक्षीय स्थिरता को प्रभावित करता है।
- **व्यापार असंतुलन:** भारत का व्यापार अधिशेष, जिससे श्रीलंका में चिंता।

आगे की राह

- **आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करना:** ETCA का शीघ्र निष्कर्ष; अवसंरचना एवं ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा।
- **मछुआरा मुद्दे का समाधान:** गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर संक्रमण; संस्थागत द्विपक्षीय तंत्र।
- **संपर्कता को सुदृढ़ करना:** ऊर्जा ग्रिड, समुद्री एवं स्थलीय संपर्क परियोजनाओं का तीव्रीकरण।
- **सामरिक सहयोग:** समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार; कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को सुदृढ़ करना।
- **तमिल मुद्दों का समाधान:** समावेशी राजनीतिक समन्वय का समर्थन; तमिल-बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाएँ जारी रखना।
- **बाहरी प्रभाव का संतुलन:** विश्वास-आधारित साझेदारी का निर्माण; बाहरी निवेश के सतत विकल्प प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष

- भारत के उपराष्ट्रपति की हालिया यात्रा भारत–श्रीलंका संबंधों में बहुआयामी सहभागिता को रेखांकित करती है, जिसमें प्रवासी संपर्क, आर्थिक सहायता और सामरिक कूटनीति का समन्वय सम्मिलित है।
- OCI का विस्तार जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि मत्स्य संबंधी मुद्दों जैसे स्थायी प्रश्नों के समाधान हेतु संतुलित एवं मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक है।

प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड

- यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला स्थायी निवास का एक स्वरूप है।
- इसे नागरिकता अधिनियम, 1955 में 2005 के संशोधन के माध्यम से भारत की प्रवासी नीति के अंतर्गत प्रारंभ किया गया।
- 2015 में इसे 'भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO)' योजना के साथ विलय कर दिया गया।

पात्रता मानदंड

- कोई विदेशी नागरिक पात्र है यदि वह:
  - 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत का नागरिक रहा हो, या
  - ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का भाग बना, या
  - ऐसे व्यक्तियों के संतान/पोते/परपोते हों।
- **अपात्र:** पाकिस्तान एवं बांग्लादेश (या अन्य अधिसूचित देशों) के नागरिक।

मुख्य विशेषताएँ

- भारत आने हेतु आजीवन वीज़ा।
- बहु-प्रवेश एवं बहुउद्देश्यीय यात्रा की अनुमति, बिना किसी प्रतिबंध के।
- विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में पंजीकरण से छूट।
- शिक्षा, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों (NRIs) के समानता।
- OCI कार्डधारक आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्ति खरीद सकते हैं; कृषि भूमि एवं बागान संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं।

- OCI धारकों को मतदान का अधिकार, संवैधानिक/सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, सरकारी सेवाओं में रोजगार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते।

स्रोत: IE

नदी घाटी प्रबंधन योजना

समाचारों में

- भारत सरकार ने नदी घाटी प्रबंधन (RBM) योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026–27 से 2030–31) तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के लिए ₹2,183 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

नदी घाटी प्रबंधन योजना क्या है?

- नदी घाटी प्रबंधन योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्रक पहल है। इसका उद्देश्य भारत की जल शासन प्रणाली को बिखरे हुए परियोजना-स्तरीय हस्तक्षेपों से हटाकर समग्र घाटी-स्तरीय दृष्टिकोण की ओर ले जाना है।
- नदियों, सहायक नदियों, झीलों और भूजल को अलग-अलग इकाइयों के रूप में देखने के बजाय, यह योजना संपूर्ण नदी घाटी को एक परस्पर जुड़ी हुई जलवैज्ञानिक इकाई के रूप में मान्यता देती है।
  - नदी घाटी वह संपूर्ण भू-क्षेत्र है जिसे एक नदी और उसकी सभी सहायक नदियाँ जल निकासी करती हैं। इसे भारत की मौलिक जलवैज्ञानिक योजना इकाई माना जाता है। इसके प्रमुख घटक हैं:
    - **जलागम क्षेत्र (Watershed):** घाटियों को अलग करने वाली सीमा।
    - **संगम (Confluence):** जहाँ नदियाँ मिलती हैं।
    - **मुख (Mouth):** जहाँ नदी समुद्र या महासागर में गिरती है।

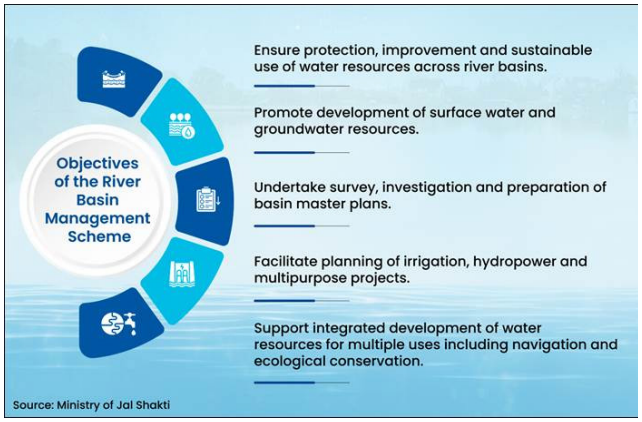

संस्थागत संरचना

- यह योजना तीन विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती है, जिनके कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं:
  - **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए — ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों हेतु नदी घाटी योजना, बाढ़ नियंत्रण, कटाव प्रबंधन एवं जल निकासी विकास।
  - **केंद्रीय जल आयोग (CWC):** जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में बहुउद्देशीय जल संसाधन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करता है।
  - **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA):** राष्ट्रीय स्तर पर नदियों के परस्पर जोड़ने (ILR) कार्यक्रम का नेतृत्व करता है — अंतर-घाटी जल अंतरण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन और DPR तैयार करता है।

इस योजना का महत्व

- **सीमा-पार जल कूटनीति:** सिंधु (पाकिस्तान के साथ साझा) और ब्रह्मपुत्र (चीन व बांग्लादेश के साथ साझा) विश्व की सबसे संवेदनशील नदियों में हैं। घाटी-स्तरीय वास्तविक समय डेटा भारत को डेटा संप्रभुता एवं अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में वार्ता की शक्ति प्रदान करता है।
- **जलवायु लचीलापन:** अनियमित मानसून, हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) और लंबे सूखे बढ़ रहे हैं। परियोजना-स्तरीय प्रतिक्रियाओं के बजाय घाटी-स्तरीय ढाँचा ही प्रणालीगत जलवायु लचीलापन बनाने में सक्षम है।
- **अंतर-राज्यीय जल समानता:** भारत के 81% भौगोलिक क्षेत्र अंतर-राज्यीय घाटियों में आता है। समन्वित घाटी-स्तरीय शासन एकतरफा ऊपरी धारा की कार्रवाइयों को रोकने और निम्न धारा में समान जल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

- **जलविद्युत और सिंचाई क्षमता का उपयोग:** हिमालयी नदी परियोजनाओं के DPR तैयार करने से पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों में अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता एवं सिंचाई संभावनाएँ खुलती हैं, जहाँ ऊर्जा तथा जल की कमी आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित करती है।

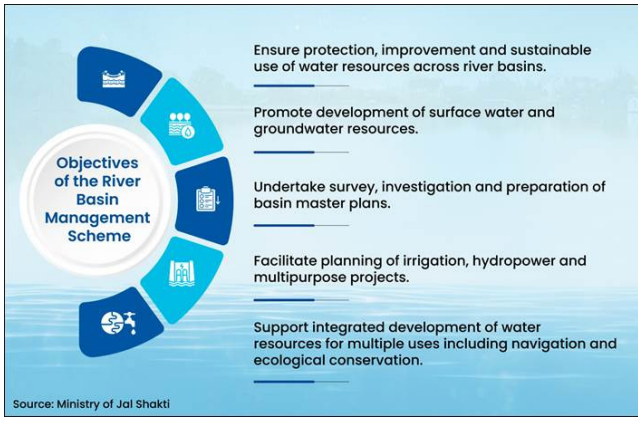

चुनौतियाँ

- **भू-आकृति और लॉजिस्टिक्स:** जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में परियोजनाओं की कार्य अवधि सामान्यतः केवल चार से छह माह होती है। खराब संपर्क व्यवस्था लागत बढ़ाती है तथा समयसीमा को प्रभावित करती है।
- **अंतर-राज्यीय विवाद:** बाध्यकारी राष्ट्रीय जल आवंटन ढाँचे के अभाव में नदी जल बँटवारा लगातार कानूनी और राजनीतिक विवाद उत्पन्न करता है, जिससे ILR एवं DPR अनुमोदन जटिल हो जाते हैं।
- **वास्तविक समय डेटा की कमी:** ऐतिहासिक रूप से कमजोर प्रवाह निगरानी नेटवर्क के कारण जलवैज्ञानिक पूर्वानुमान प्रायः गलत रहे हैं। इस डेटा अंतराल को दूर करना योजना की सफलता के लिए आधारभूत है।
- **पारिस्थितिक संतुलन:** बाँध और बैराज जैसी बड़ी संरचनाएँ तलछट प्रवाह को बदलती हैं, जलीय जैव विविधता को बाधित करती हैं एवं निचली धारा की समुदायों को प्रभावित करती हैं। वर्तमान परियोजना मूल्यांकन ढाँचे इन संचयी पारिस्थितिक लागतों को पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ते।
- **लागत वृद्धि:** ब्रह्मपुत्र जैसी गतिशील नदियों में तट-क्षरण रोधी कार्य प्रायः प्रारंभिक बजट अनुमान से अधिक हो जाते हैं।

आगे की राह

- सभी प्राथमिक घाटियों में LiDAR और ड्रोन सर्वेक्षण का विस्तार कर उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल ऊँचाई मॉडल तैयार करना।
- **NEHARI (पूर्वोत्तर हाइड्रोलिक एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान)** को सुदृढ़ कर पूर्वोत्तर राज्यों में तकनीकी क्षमता का निर्माण करना।
- DPR मूल्यांकन प्रोटोकॉल में अनिवार्य पर्यावरणीय प्रवाह आकलन को संस्थागत रूप देना ताकि अवसंरचना विकास और पारिस्थितिक संरक्षण में संतुलन स्थापित हो।
- लंबे समय से अनुशंसित राष्ट्रीय जल ढाँचा कानून को लागू करना, जिससे अंतर-राज्यीय जल आवंटन विवाद सुलझ सकें और ILR कार्यान्वयन के लिए स्थिर कानूनी आधार मिल सके।

स्रोत: PIB

जीन ड्राइव्स द्वारा मलेरिया नियंत्रण में परिवर्तन

संदर्भ

- जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी मच्छरों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने का एक नवीन दृष्टिकोण बनकर उभर रही है, जिसका उद्देश्य मलेरिया के प्रसार को रोकना है।

मलेरिया का वैश्विक भार

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में मलेरिया के 282 मिलियन मामले दर्ज किए गए, जिनमें अनुमानित 6,10,000 मृत्युएँ हुईं।
- WHO अफ्रीकी क्षेत्र में लगभग 95% मलेरिया के मामले और मृत्यु होती हैं। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में इस क्षेत्र की कुल मलेरिया मृत्यु का लगभग 76% हिस्सा है।

जीन ड्राइव्स क्या हैं?

- जीन ड्राइव एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी है जो वंशानुगत पैटर्न को प्रभावित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई विशिष्ट जीन असामान्य रूप से अधिक संख्या में संतानों में स्थानांतरित हो।

- यह CRISPR-Cas9 का उपयोग करती है, जो प्रजनन के दौरान जीनों में सटीक संशोधन और प्रतिलिपि बनाने में सक्षम बनाती है।
- सामान्य वंशानुक्रम में किसी जीन के स्थानांतरण की संभावना 50% होती है, जबकि जीन ड्राइव्स 90% से अधिक दर सुनिश्चित कर सकती हैं, जिससे यह किसी जनसंख्या में तीव्र गति से फैल सकती है।

तंज़ानिया 'ट्रांसमिशन ज़ीरो' अध्ययन

- आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों ने संक्रमित व्यक्तियों के रक्त नमूनों पर पोषण करने पर परजीवी के विकास को उल्लेखनीय रूप से बाधित किया।
- कई मामलों में, परजीवी संक्रामक अवस्था तक नहीं पहुँच पाए, जिससे प्रसार रुक गया।

चिंताएँ

- **वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियाँ:** मलेरिया परजीवियों की आनुवंशिक विविधता प्रतिरोध रोकने हेतु बहु-लक्षित हस्तक्षेपों की माँग करती है। मच्छरों और परजीवियों दोनों में विकासात्मक अनुकूलन की संभावना है।
- **पारिस्थितिक जोखिम:** मच्छर जनसंख्या में परिवर्तन या दमन से अनपेक्षित पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि मच्छर खाद्य श्रृंखलाओं और पारिस्थितिक तंत्रों में भूमिका निभाते हैं।
- **नियामक और शासन संबंधी चुनौतियाँ:** कार्यान्वयन हेतु सुदृढ़ जैव-सुरक्षा ढाँचे, जोखिम मूल्यांकन और वैश्विक सहयोग आवश्यक है।

मलेरिया क्या है?

- मलेरिया एक जीवन-घातक रोग है जो कुछ प्रकार के मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है।
- **संक्रमण:** यह *प्लास्मोडियम* प्रोटोज़ोआ द्वारा होता है। संक्रमित मादा *एनोफिलीज़* मच्छरों के काटने से परजीवी फैलते हैं। रक्त आधान और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है।
- **परजीवी के प्रकार:** पाँच *प्लास्मोडियम* प्रजातियाँ मनुष्यों में मलेरिया उत्पन्न करती हैं। इनमें से दो — *पी. फाल्सीपेरम और पी. विवैक्स* — सबसे अधिक खतरनाक हैं। अन्य प्रजातियाँ हैं *पी. मलेरिया, पी. ओवेल और पी. नोलेसी।*
  - *पी. फाल्सीपेरम* सबसे घातक परजीवी है और अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे व्यापक है।
  - *पी. विवैक्स* उप-सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख परजीवी है।
- **लक्षण:** बुखार और फ्लू जैसे लक्षण — ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान।
- **टीका:** 2021 से WHO ने *RTS,S/AS01* मलेरिया टीके के व्यापक उपयोग की अनुशंसा की है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ *पी. फाल्सीपेरम* का मध्यम से उच्च स्तर का प्रसार है।
  - 2023 में WHO ने दूसरा मलेरिया टीका *R21/Matrix-M* की अनुशंसा की।

भारत की प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय लक्ष्य

- भारत 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के अपने संकल्प पर दृढ़ है, जिसमें 2027 तक शून्य स्वदेशी मामलों का मध्यवर्ती लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन की रणनीतिक रूपरेखा निम्नलिखित दस्तावेज़ों द्वारा निर्देशित है:
  - **भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा (2016–2030):** दृष्टि, लक्ष्य और चरणबद्ध उन्मूलन हेतु लक्ष्यों का विवरण।
  - **मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2023–2027):** पूर्ववर्ती रूपरेखाओं पर आधारित और WHO की *ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016–2030* के अनुरूप।

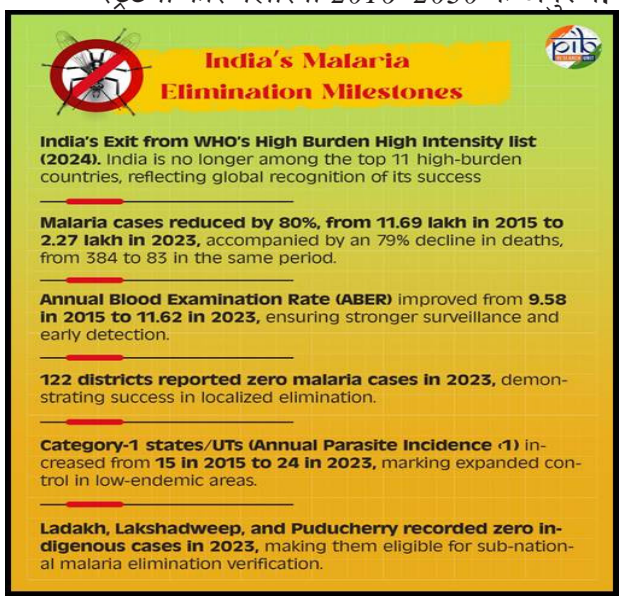

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

विश्व सूत्र

समाचारों में

- विश्व सूत्र संग्रह का शुभारंभ भुवनेश्वर में आयोजित 61वीं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में किया गया।

परिचय

- विश्व सूत्र एक डिज़ाइनर हैंडलूम संग्रह है जिसे वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हैंडलूम विकास आयुक्त कार्यालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह संग्रह 30 राज्य-विशिष्ट भारतीय बुनाइयों को 30 देशों की सांस्कृतिक सौंदर्यशास्त्र के साथ जोड़ता है, जिससे पारंपरिक हैंडलूम को आधुनिक, वैश्विक डिज़ाइन भाषा में प्रस्तुत किया जा सके।

प्रमुख विशेषताएँ

- **30-30 ढाँचा:** मिस इंडिया प्रतियोगिता की 30 राज्य विजेताओं ने प्रत्येक राज्य-विशिष्ट बुनाई को एक अलग देश की डिज़ाइन संवेदनशीलता से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया।
- **कुंबी बुनाई विशेष आकर्षण:** 61वीं फेमिना मिस इंडिया विजेता ने गोवा-उत्पत्ति वाली कुंबी बुनाई पहनी, जो परिवार और बीज का प्रतीक है, जिसे मध्य यूरोपीय स्कर्ट सिल्हूट के रूप में पुनः कल्पित किया गया।

महत्व

- **5F दृष्टि:** सीधे प्रधानमंत्री के ढाँचे को क्रियान्वित करता है — *फार्म → फाइबर → फैक्ट्री → फैशन → विदेशी*
- **स्थानीय से वैश्विक:** पारंपरिक कुटीर-स्तरीय बुनाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी फैशन प्रस्ताव में परिवर्तित करता है।
- **सॉफ्ट पावर:** वस्त्रों का उपयोग वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक कूटनीति और कहानी कहने के माध्यम के रूप में करता है।

स्रोत: PIB

जगद्गुरु बसवेश्वर

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- बसवेश्वर, जिन्हें बसवन्ना भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी के दार्शनिक, सामाजिक सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे। वे मुख्यतः वर्तमान कर्नाटक के कल्याण क्षेत्र में सक्रिय थे।
- वे लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और समानता, सामाजिक न्याय तथा जाति व्यवस्था एवं सामाजिक भेदभाव के अस्वीकार के पक्षधर थे।
- लिंगायतों को "वीरशैव लिंगायत" नामक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें शैव माना जाता है।
- उन्होंने कालचुरी वंश के राजा बिज्जल II के मंत्री के रूप में सेवा की। उनकी शिक्षाएँ *वचन* नामक काव्यात्मक रचनाओं में संरक्षित हैं।
- बसवेश्वर ने *इष्टलिंग* की अवधारणा प्रस्तुत की, जो सामाजिक विभाजनों से परे ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध को प्रोत्साहित करती है।

- उन्होंने *अनुभव मंटप* की स्थापना की, जिसे विश्व की प्रथम संसद भी कहा जाता है। यह एक अग्रणी मंच था जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग, जिनमें महिलाएँ भी शामिल थीं, आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर खुली चर्चा कर सकते थे।

स्रोत: DDNews

RELOS समझौता

समाचारों में

- भारत और रूस ने भारत-रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौते (RELOS Pact) को क्रियान्वित किया है।

परिचय

- यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य इकाइयों के प्रेषण और मेजबानी हेतु मानकीकृत प्रक्रियाएँ स्थापित करता है।
- यह परिभाषित करता है कि जब किसी देश की सेनाएँ दूसरे देश के क्षेत्र या वायुक्षेत्र में अस्थायी रूप से उपस्थित होती हैं, तो आवश्यक प्रशासनिक, लॉजिस्टिक और परिचालन व्यवस्थाएँ क्या होंगी।
- RELOS कोई स्थायी अड्डा समझौता नहीं है (इसकी अवधि 5 वर्ष है और इसे बढ़ाया जा सकता है)। यह एक लॉजिस्टिक समर्थन ढाँचा है जो अभ्यासों, तैनाती, मानवीय मिशनों एवं आपदा राहत अभियानों के दौरान सुविधाओं तक पारस्परिक पहुँच सक्षम करता है।

स्रोत: ET

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) का विस्तार

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) को मार्च 2025 से आगे 2028–29 तक बढ़ा दिया है। इसके लिए ₹3,727 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कुल वित्तीय प्रावधान ₹83,977 करोड़ हो गया है।

PMGSY के बारे में

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को प्रत्येक मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना है, जो व्यापक गरीबी उन्मूलन रणनीति का हिस्सा है।
- 2000 में शुरू हुई इस योजना ने कई चरणों में विकास किया है:
  - **PMGSY-I (2000):** असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने पर केंद्रित।
  - **PMGSY-II (2013):** वर्तमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर केंद्रित।
  - **RCPLWEA (2016):** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु।
  - **PMGSY-III (2019):** ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन पर केंद्रित।
  - **PMGSY-IV (2024–25 से 2028–29):** जनसंख्या वृद्धि के कारण लगभग 25,000 नई पात्र बस्तियों को जोड़ने पर केंद्रित।

महत्व

- इस विस्तार से लक्षित ग्रामीण सड़क उन्नयन पूरा करने में सहायता मिलेगी, जिससे कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच बेहतर होगी एवं परिवहन लागत घटेगी।
- यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में बढ़ाएगा तथा ग्रामीण–शहरी अंतर को कम कर समावेशी विकास में योगदान देगा, जो *विकसित भारत 2047* की दृष्टि के अनुरूप है।

स्रोत: PIB

इज़राइल की 'येलो लाइन' (दक्षिणी लेबनान)

संदर्भ

- हाल ही में इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में 'येलो लाइन' की स्थापना की घोषणा की, जो इज़राइल और लेबनान के बीच 10-दिवसीय युद्धविराम समझौते के तुरंत बाद हुई।

'येलो लाइन' क्या है?

- यह एक सैन्य सीमांकन रेखा है जिसे इज़राइल ने संघर्ष क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्रों को अलग करने के लिए बनाया है।

- यह एक अस्थायी परिचालन सीमा है जो इज़राइली सैनिकों की तैनाती की सीमा को दर्शाती है।

- इस सीमा से आगे की गतिविधि को संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाता है।

गाज़ा से तुलना

- अक्टूबर 2023 से गाज़ा में इसी प्रकार की रेखा का उपयोग किया गया है।
- वहाँ इसने क्षेत्र को इज़राइल-नियंत्रित और हमास-नियंत्रित क्षेत्रों में विभाजित किया।
- लेबनान में इसका उपयोग इज़राइल की परिचालन रणनीति को दोहराने का प्रयास दर्शाता है।

स्रोत: HT

भारत समुद्री बीमा पूल (BMI Pool)

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के समुद्री व्यापार की लचीलापन को सुदृढ़ करने हेतु ₹12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ 'भारत समुद्री बीमा पूल' (BMI Pool) के गठन को स्वीकृति दी है।

परिचय

- BMI पूल एक घरेलू बीमा तंत्र है जो *हुल और मशीनरी, कार्गो, प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I), तथा युद्ध जोखिम* जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक कवरेज प्रदान करता है।
- यह भारतीय ध्वजांकित और भारतीय-नियंत्रित जहाजों को कवर करता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो संघर्ष-प्रवण अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में संचालित होते हैं। यह भारत एवं वैश्विक बंदरगाहों के बीच कार्गो परिवहन को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह *मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030* के अनुरूप है और भारत को 2047 तक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।
- यूनाइटेड किंगडम, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इसी प्रकार के राज्य-समर्थित ढाँचे मौजूद हैं।

क्या आप जानते हैं?

- भारत का समुद्री क्षेत्र देश के व्यापार का 70% से अधिक मात्रा और लगभग 95% मूल्य संभालता है। फिर भी इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का बीमा कवरेज मुख्यतः विदेशी हाथों में रहा है।
- यह संरचनात्मक कमजोरी हाल ही में लाल सागर, होरमुज़ जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान के दौरान उजागर हुई, जब कई वैश्विक बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम में भारी वृद्धि की या कवरेज वापस ले लिया। इससे भारतीय निर्यातकों और शिपिंग संचालकों को बढ़ते वित्तीय जोखिम एवं परिचालन अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।

स्रोत: PIB

भारत की प्रथम बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खनन परियोजना

समाचारों में

- आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले के जोन्नागिरी में भारत की प्रथम बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खदान की शुरुआत ने भारत के स्वर्ण भंडार, उत्पादन घाटे और घरेलू खनन के सामरिक महत्व पर नया ध्यान केंद्रित किया है।

परिचय

- स्वर्ण एक कोमल, सघन, अत्यधिक तन्य और संक्षारण-प्रतिरोधी बहुमूल्य धातु है, जो प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है।
- स्वर्ण भारत का तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात है, जिसकी घरेलू माँग पूरी करने हेतु प्रतिवर्ष लगभग 1,000 टन आयात किया जाता है।
- भारत के स्वर्ण भंडार में बिहार का प्रभुत्व है (~43%), इसके बाद राजस्थान (~25%) और कर्नाटक (~20%) आते हैं, जबकि केरल की नदियों एवं तटों के साथ महत्वपूर्ण प्लेसर (जलोढ़) भंडार पाए जाते हैं।

- भारत के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 97% कर्नाटक से आता है, मुख्यतः रायचूर स्थित हुट्टी गोल्ड माइंस के माध्यम से।
- वैश्विक स्तर पर चीन स्वर्ण उत्पादन में अग्रणी है (~10% विश्व उत्पादन), इसके बाद रूस और ऑस्ट्रेलिया आते हैं।
- स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक है। यह वैश्विक स्वर्ण निर्यात में भी प्रमुख है, जहाँ लगभग 70% विश्व स्वर्ण का परिष्करण किया जाता है।

स्रोत: TOI

किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

संदर्भ

- किसान उत्पादक संगठन (FPOs) छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने तथा भारत की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामूहिक तंत्र के रूप में उभरे हैं।

किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

- एक उत्पादक संगठन (PO) एक विधिक इकाई है जिसे प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसान, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर एवं शिल्पकार द्वारा गठित किया जाता है।
- PO एक उत्पादक कंपनी, सहकारी समिति या कोई अन्य विधिक रूप हो सकता है जो सदस्यों के बीच लाभ/फायदे के वितरण का प्रावधान करता है।
- भारत में FPOs को बढ़ावा देने में *लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)* प्रमुख भूमिका निभाता है।
- **पंजीकरण के विधिक प्रावधान:**उत्पादक संगठन निम्नलिखित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत हो सकते हैं:
- सहकारी समितियाँ अधिनियम / संबंधित राज्य का स्वायत्त या पारस्परिक सहायता सहकारी समितियाँ अधिनियम
- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
- भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उत्पादक कंपनी (2013 में संशोधित)
- भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 कंपनी (2013 में संशोधित होकर धारा 8)
- समाज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समाज
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास

FPOs की आवश्यकता

- छोटे किसानों की सौदेबाज़ी शक्ति कम होती है और बिखरी हुई भूमि के कारण पैमाने की अर्थव्यवस्था का अभाव रहता है।
- अनेक बिचौलियों की उपस्थिति किसानों के हिस्से को अंतिम उपभोक्ता मूल्य में कम कर देती है।
- **FPOs से लाभ:**
  - उत्पाद और इनपुट का एकत्रीकरण, जिससे लागत घटती है।
  - बेहतर बाज़ार पहुँच और मूल्य प्राप्ति।
  - खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ सुदृढ़ सौदेबाज़ी शक्ति।

स्रोत: DTE

■■■■